न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– **जय कौशिक(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद : 88/53 आर.टी.ए.

नम्बर मुकदमा – 38/2026

1 गुरप्रीत सिह पुत्र गुरदास सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ना.ज.कु.वली माता मनप्रीत कौर पत्नी प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3 मनप्रीत कौर पत्नी प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरदास सिह पुत्र अमरजीत सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3 गगनदीप कौर पुत्री प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

4 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 आर. टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 व चक 1 पी. टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 में वादी स. 1 व 2 तथा प्रति स. 3 के दादा तथा वादी स. 3 के ससुर व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयां चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज. स. 2070–73 व चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी स. 1 व 2 तथा प्रति स. 3 के दादा तथा वादी स. 3 के ससुर व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी हमारी जददी जायदाद है।जिसमें प्रति स. 2 व प्रकाश

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिह पुत्र अमरजीत सिह का जन्म से ही हक बनता है।प्रकाश सिह पुत्र अमरजीत सिह फौत हो गये है। जिनके वारिसान वादी स. 2, 3 व प्रति स. 3 ही है।प्रति स. 1 ने अपने हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी स. 1 व 2 के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है तथा प्रति स. 2 ने प्रति स. 1 से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 1 के पक्ष में व वादी स. 3 व प्रति स. 3 ने प्रकाश सिह पुत्र अमरजीत सिह से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 2 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में वादी स. 3 व प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी स. 1 व 2 प्राप्त करना चाहते है।दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी स. 1 व 2 ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए दावा की दफा 5 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है।वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चला आ रहे है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमें दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रति स. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 गुरप्रीत सिह की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया।जो शामिल मिसल है।अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 3.4770 है0 आराजी में से 0.761 है0 आराजी का वादी स. 1 गुरप्रीत सिह पुत्र गुरदास सिह व 0.997 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का हिस्सा कम किया जाकर वादी स. 1 व 2 के नाम दर्ज किया जावे व चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह के नाम दर्ज की जावे।वादी स. 1 व 2 का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया।चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 3.4770 है0 आराजी में से 0.761 है0 आराजी का वादी स. 1 गुरप्रीत सिह पुत्र गुरदास सिह व 0.997 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का हिस्सा कम किया जाकर वादी स. 1 व 2 के नाम दर्ज किया जावे व चक 2 ए. एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह के नाम दर्ज की जावे।वादी स. 1 व 2 का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 3.4770 है0 आराजी में से 0.761 है0 आराजी का वादी स. 1 गुरप्रीत सिह पुत्र गुरदास सिह व 0.997 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी का वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार चक 1 पी.टी.पी. खाता स. 3/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2071–74 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का हिस्सा कम किया जाकर वादी स. 1 व 2 के नाम दर्ज किया जावे व चक 2 ए.एम.पी. खाता स. 5/2 खाता अमरजीत सिह ज.स. 2070–73 से प्रति स. 1 अमरजीत सिह पुत्र राम सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह के नाम दर्ज की जावे।वादी स. 1 व 2 का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।दावा की दफा 5 निम्नानुसार है:–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

ए वादी स. 1 गुरप्रीत सिह पुत्र गुरदास सिह का हिस्साः–

चक 1 पी.टी.पी.

164/129 14 25/.126 (किला न. 5 से चिपता हुआ) = .0126 है0

164/130 23 4/1/.215 4/3/.025 गै.मु.खाला 5/1/.228 5/2/.025 गैमु.खाला 6/.071 (किला न. 5 से चिपता हुआ) 7/.071 (किला न. 4 से चिपता हुआ) = 0.635 है0

बी वादी स. 2 अनताज सिह पुत्र प्रकाश सिह का कब्जाः–

चक 1 पी.टी.पी.

164/129 14 25/.127 = 0.127 है0

164/130 23 6/.182 7/.182 15/.253 16/.253 =0.870 है0

चक 2 ए.एम.पी.

164/132 57 4–5–6–7–8/.253प्र = 1.265 है0

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया